न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी— विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 135/2019 (2019/00321) दर्ज दिनांक 30.12.2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

श्री बद्रीलाल पिता रतनलाल जाट निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक जरिये कायम मुकाम

1/1. मुकेश कुमार पिता बद्रीलाल जाट निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

1/2. श्रीमती सीमा पुत्री बद्रीलाल जाट निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

1/3. मु0 अणछी पत्नि बद्रीलाल जाट निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. मु0 मेताबाई उर्फ मेहताब बाई पत्नि लेहरूलाल पूर्बिया निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. रतनलाल पिता लेहरूलाल पूर्बिया निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. हांसू पिता तिलोक पूर्बिया पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. हरिराम पिता तिलोक पूर्बिया पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगणः— श्री मुकेश कुमार चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः—17.08.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1002 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 1003 रकबा 0.08 हे0, आराजी संख्या 1010 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 1018 रकबा 0.32 हे0, आराजी संख्या 1024 रकबा 0.07 हे0, आराजी संख्या 1025 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1026 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1027 रकबा 0.02 कुल किता 8 कुल रकबा 1.04 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 865 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 12:17:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण तामील के बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बाद सुनवाई गैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 135/2019 (2019/00321)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1002 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 1003 रकबा 0.08 हे0, आराजी संख्या 1010 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 1018 रकवा 0.32 हे0, आराजी संख्या 1024 रकबा 0.07 हे0, आराजी संख्या 1025 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1026 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1027 रकबा 0.02 कुल किता 8 कुल रकवा 1.04 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 865 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/– (पांच सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/– (पांच सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 12:17:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner